बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक : वि॰प्रा॰(III) ब^{3}–12/2016– /पटना, दिनांक :

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,
निदेशक,

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम

विषय : वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के मुख्यशीर्ष– 2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–112–इंजिनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष –0001, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विपत्र कोड–43-2203001120001 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1046, दिनांक 28.04.2017 के द्वारा विभागान्तर्गत शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम के दिनांक 27.8.2016 के पत्र द्वारा समर्पित संस्थान के छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र सहित अधियाचना के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राजकीय पोलिटेकनिक, डिहरी–ऑन–सोन में संचालित शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम के छात्र/छात्राओं को, संस्थान परिसर में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होने तक, शहर के प्रमुख स्थान से संस्थान तक एक बार जाने एवं आने के लिए दो बसों के परिचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू॰ 15,00,000=00 (पन्द्रह लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017–18 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 13.02 वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से रू॰ 15,00,000=00 (पन्द्रह लाख रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक– 428, दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रुप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. उक्त आवंटित राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रुप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/वि. दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी.भी. नं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से को उपलब्ध करायेगें।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह॰/ –
(अतुल सिन्हा)
निदेशक

ज्ञापांक : वि॰प्रा॰(III) ब^{3}–12/2016–   /पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
निदेशक

ज्ञापांक : वि॰प्रा॰(III) ब^{3}–12/2016–   /पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
निदेशक

ज्ञापांक : वि॰प्रा॰(III) ब^{3}–12/2016– 17 (भा॰) /पटना, दिनांक : 27-6-017

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/योजना सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) /एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.06.17
निदेशक

23/6/17